कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बनाम

ए. टी. चंद्रशेखर

28 फरवरी, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पंता, जे. जे.]

सेवा कानूनः

लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन-उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नोटिस की आवश्यकता-यह आरोप कि मुख्य परीक्षक ने चयनित उम्मीदवारों में से दो उम्मीदवारों को अपने घर पर पेपर लिखने की अनुमति दी-पुनर्मूल्यांकन के लिए भेजे गए पेपर-उक्त दो उम्मीदवारों के अंक योग्यता अंकों से कम पाए गए-उनके नाम चुनिंदा सूची से हटा दिए गए-उच्च न्यायालय ने उनकी रिट याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में उचित नहीं था कि संबंधित उम्मीदवार पुनर्मूल्यांकन के लिए पेपर भेजने से पहले नोटिस देने के हकदार थे और पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्देश अनधिकृत था-सामूहिक दुराचार पर लागू सिद्धांत ऐसे मामलों में समान रूप से लागू होते हैं जहां यह पाया जाता है कि परीक्षण जांच में भी भिन्नता के परिणामस्वरूप अंकों में काफी बदलाव होता है-उच्च न्यायालय के फैसले ने नोटिस को दरकिनार कर दिया।

सहायक लेखा अधिकारी के पदों पर चयन के लिए अपीलार्थी-कर्नाटक विद्युत निगम द्वारा आयोजित एक परीक्षा में आरोप लगाया गया था कि मुख्य परीक्षक ने कुछ उम्मीदवारों को अपने घर पर परीक्षा पत्र लिखने की अनुमति दी थी। कागजात पुनर्मूल्यांकन के लिए भेजे गए थे।पुनर्मूल्यांकन पर यह पाया गया कि दोनों उत्तरदाताओं ने योग्यता से कम अंक प्राप्त किए थे और परिणामस्वरूप उनके नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची से हटा दिए गए थे।एफ इसे एक रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, जिन्हें उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ अनुमति दी थी, जिसमें कहा गया था कि उम्मीदवारों को पुनर्मूल्यांकन के लिए कागजात भेजने से पहले स्वतंत्र सुनवाई नहीं दी गई थी और जब कदाचार साबित नहीं हुआ था तो निगम पुनर्मूल्यांकन के लिए कागजात नहीं भेज सकता था।

निगम की अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.सामूहिक दुराचार पर लागू सिद्धांत ऐसे मामलों में समान रूप से लागू होते हैं जहां यह पाया जाता है कि परीक्षण जांच में भी भिन्नता के परिणामस्वरूप अंकों में काफी बदलाव होता है। यह आरोपों की शुद्धता का परीक्षण करने का आधार है। इसलिए, उच्च न्यायालय को एच. 424 कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एच. 424 कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को न्यायोचित नहीं ठहराया गया।

यह अभिनिर्धारित करने में कि (क) उत्तरदाता पुनर्मूल्यांकन के लिए ए कागजात भेजने से पहले नोटिस के हकदार थे या (ख) पुनर्मूल्यांकन के

लिए निर्देश अनधिकृत था।निगम कदाचार के आरोपों के आधार पर काम कर रहा था जो बाद की घटनाओं से साबित हुआ कि गलत नहीं था।उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अक्षम्य हैं और उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 7 और 8]

राम प्रीति यादव बनाम यू. पी. हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बी शिक्षा और अन्य, [2003] 8 एस. सी. सी. 311 और बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बनाम सुभाष चंद्र सिन्हा और अन्य, ए. आई. आर. (1970) एस. सी. 1289 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2007 की सिविल अपील सं. 1097

(2000 के डब्ल्यू. ए. संख्या 6288 (एस-पीआरओ) में बैंगलोर में सी कर्नाटक के उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 7.1.2004 से C.A.No 2007 का 1098 के साथ)

अपीलार्थियों के लिए एस. गणेश, प्रताप वेणुगोपाल, सुरेखा रमन और ई. वेणु कुमार (मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी के लिए)।

प्रतिवादी के लिए आर. एस. हेगड़े, चंद्र प्रकाश त्यागी, सावित्री पांडे, राहुल त्यागी, पी. पी. सिंह, शांता कुमार वी. महाले और राजेश महाले।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था।1. अनुमति दी गई।

2. इन अपीलों में चुनौती कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिए गए उस फैसले को दी गई है जिसमें दायर रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार करते हुए प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट अपील को अनुमति दी गई है।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

सहायक लेखा अधिकारी के पद के लिए व्यक्तियों का चयन करने के उद्देश्य से अपीलार्थी-कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा एक परीक्षा आयोजित की गई थी।उक्त परीक्षा जी दो तिथियों यानी 29.08.1991 और 30.08.1991 पर आयोजित की गई थी।परिणाम 19.12.1991 पर घोषित किया गया था।उक्त परीक्षा में बारह व्यक्तियों को सफल घोषित किया गया और एक परिपत्र दिनांक 19.12.1991 द्वारा प्रतिवादी एम. आर. सोमशेखर को सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया।प्रतिवादी ए. टी. चंद्रशेखर के साथ भी ऐसा ही हुआ।पदोन्नति की तारीख के कुछ समय बाद, आरोप लगाया गया था कि मुख्य परीक्षक ने कुछ उम्मीदवारों को अपने घर पर परीक्षा पत्र लिखने की अनुमति दी थी। इस आरोप पर निगम ने फिर से परीक्षा बुलाने का फैसला किया।प्रबंध निदेशक शुरू में इन सुझावों से सहमत नहीं थे। लेकिन उन्होंने इस आरोप में सार पाया कि मुख्य परीक्षक ने कथित रूप से "परीक्षण जांच" की और कुछ उम्मीदवारों के मामले में अधिक अंक जोड़े.। पेपर बी के मूल्यांकन के लिए वाणिज्य

और प्रबंधन विभाग, बैंगलोर, विश्वविद्यालय को भेजे गए थे। बैंगलोर विश्वविद्यालय के वाणिज्य और प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन पर, यह नोट किया गया कि उत्तरदाताओं ने आवश्यक योग्यता अंकों से कम अंक प्राप्त किए थे। अंततः 23.10.1993 दिनांकित परिपत्र द्वारा निगम ने सी संशोधित परिणाम प्रकाशित करके संबंधित उत्तरदाताओं के नाम हटा दिए। अंतिम परिणाम में 12 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। पुनर्मूल्यांकन पर पाए गए अंकों के आधार पर चार व्यक्ति असफल पाए गए, हालांकि पहली बार में वे सफल पाए गए थे।प्रतिवादी एम. आर. सोमशेखर और प्रतिवादी ए. टी. चंद्रशेखर ने रिट याचिका दायर करके चुनौती दी थी। दोनों रिट याचिकाओं को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील दायर की गई थी। रिट अपीलों में प्रमुख रुख यह था कि वाणिज्य और प्रबंधन विभाग को मूल्यांकन के लिए कागजात भेजने का निगम का निर्णय अनाधिकृत था। यह भी उनका रुख था कि पेपरों का मूल्यांकन करने के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति निगम का मुख्य परीक्षक और उसके अधीनस्थ थे और लागू नियमों ई में किसी तीसरे पक्ष द्वारा पेपरों का मूल्यांकन करने का कोई प्रावधान नहीं था, जो वर्तमान मामले में बैंगलोर विश्वविद्यालय का वाणिज्य और प्रबंधन विभाग था। उच्च न्यायालय ने रिट अपीलों को स्वीकार कर लिया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि विभिन्न मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन पर सीमांत अंतर की गुंजाइश है।यह मानने के लिए एक आधार नहीं हो सकता है कि पहला मूल्यांकन गलत

था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 5 अंकों तक की भिन्नता की अनुमेय सीमा हो सकती है जिसे उम्मीदवार की ओर से कदाचार के आरोप या परीक्षा में या पुनर्मूल्यांकन के समय किसी धोखाधड़ी या अनियमितता के अभाव में नजरअंदाज किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने पाया कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल थे, और सामूहिक नकल का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह परीक्षण जांच का मामला था।

4. निगम ने अपनी अपील में निम्नलिखित बहिष्करणों के संबंध में मूल रूप से तीन आधारों पर उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया है अर्थात (1) पुनर्मूल्यांकन के लिए कागजात भेजने से पहले उम्मीदवारों को स्वतंत्र सुनवाई नहीं दी गई थी।(2) जब कदाचार साबित नहीं होता है तो निगम पुनर्मूल्यांकन के लिए कागजात नहीं भेज सकता है।(3) पुनर्मूल्यांकन भिन्नता में 5 अंकों तक की अनुमति है और इस तरह की भिन्नता को नजरअंदाज किया जा सकता है।

5. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अंकों की तुलना से पता चलता है कि मूल्यांकन, जैसा कि मूल रूप से किया गया था, किसी भी उल्लेखनीय अंतर से ग्रस्त नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में सही था। यह ध्यान दिया जाता है कि प्रत्यर्थी ए. टी. चंद्रशेखर के मामले में, वह मूल मूल्यांकन पर भी परीक्षा में विफल रहे थे, क्योंकि उन्होंने 26.50 अंक प्राप्त किए थे जो योग्यता अंकों यानी 40 अंकों से

काफी कम हैं। मुख्य वित्तीय नियंत्रक (मूल्यांकन) द्वारा मूल्यांकन में विश्वसनीयता की कोई झलक नहीं थी। एक मामले में यह पाया गया कि जो व्यक्ति मूल मूल्यांकन में विफल रहा था, उसे पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण घोषित किया गया था। इसके बिल्कुल विपरीत एक और मामला था जहां अंक बहुत कम थे। अंततः प्रश्न मूल्यांकन में निष्पक्षता और सटीकता का है।

6. एक हन चिनमुथ के मामले में, दो पेपरों में भिन्नता पेपर 2 में 33 और 46 और पेपर 3 में 26 और 40 थी। कुछ अन्य उम्मीदवारों के संबंध में भी यही स्थिति थी। यह कोई सवाल नहीं है कि क्या वृद्धि हुई है या कमी हुई है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अंतिम सवाल यह है कि क्या मूल्यांकन में कोई तर्क संगतता थी। हालाँकि यह वास्तव में बड़े पैमाने पर दुराचार का मामला नहीं था, लेकिन निगम ने केवल पुनर्मूल्यांकन किया क्योंकि मुख्य परीक्षक डी ने परीक्षण जांच की थी जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी उचित कारण के अंकों में व्यापक भिन्नता हुई थी।

7. सामूहिक दुराचार पर लागू सिद्धांत ऐसे मामलों में समान रूप से लागू होते हैं जहां यह पाया जाता है कि परीक्षण जांच में भी भिन्नता के परिणामस्वरूप अंकों में काफी बदलाव होता है। यह आरोपों की रूद्रता का परीक्षण करने का आधार है। इसलिए, उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित नहीं था कि (क) उत्तरदाता पुनर्मूल्यांकन के लिए

कागजात भेजने से पहले नोटिस के हकदार थे या (ख) पुनर्मूल्यांकन का निर्देश अनधिकृत था। निगम दुराचार के आरोपों के आधार पर काम कर रहा था जो बाद की घटनाओं से साबित हुआ कि गलत नहीं था। राम प्रीति यादव बनाम एफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा और अन्य के यू. पी. बोर्ड, [2003] 8 एस. सी. सी. 311 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्णय लेने से पहले एक व्यक्तिगत उम्मीदवार को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। यह इस अदालत द्वारा बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बनाम सुभाष चंद्र सिन्हा और अन्य, ए. आई. आर. (1970) एस. सी. 1289 में विस्तृत रूप से बताए गए सिद्धांतों की पुनरावृत्ति थी।

8. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अक्षम्य हैं और उन्हें दरकिनार कर किया जाता है। अपीलों की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

आर. पी.

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।